भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-1286

उत्तर देने की तारीख 08/12/2025

राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्राथ मक और उच्च शक्षा

†1286. श्री सौमेंदु अ धकारी:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय शक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत अनिवार्य प्राथ मक और उच्च शक्षा प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो शक्षा प्रणाली के कब तक पूरी तरह लागू होने की संभावना है;

(ग) क्या एनईपी 2020 के नीति नियमों और कानून के तहत प्रत्येक वद्यालय को संबं धत राज्य से पंजीकरण और एकल इकाई के साथ बोर्ड संबद्धता प्राप्त करनी होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अलग-अलग स्थानों पर एक नाम और एक ही यूडीआईएसई के साथ एक ही पंजीकरण के अंतर्गत चल रहे वद्यालयों को कब तक पंजीकरण और मान्यता के लए नया नाम अपनाना/नाम बदलना होगा?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय के राज्यमंत्री

(श्री जयंत चौधरी)

(क) से **(घ):** राष्ट्रीय शक्षा नीति (एनईपी) **2020** में स्कूल शक्षा की मौजूदा **10+2** संरचना को संशो धत करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें **3-18** आयु वर्ग को कवर करते हुए **5+3+3+4** की नई शैक्ष णक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन का प्रावधान कया गया है। तदनुसार, स्कूल शक्षा के लए पाठ्यचर्या तथा शैक्ष णक संरचना और पाठ्यक्रम रूपरेखा को **5+3+3+4** डजाइन द्वारा निर्दे शत कया जाना है, जिसमें बुनियादी चरण (आंगनवाड़ी/प्रीस्कूल के **3** वर्ष + प्राथ मक वद्यालय की कक्षा **1-2** में **2** वर्ष; दोनों एक साथ **3-8** वर्ष की आयु को कवर

करते हैं), प्रारं भक चरण (कक्षा **3-5, 8-11** वर्ष की आयु को कवर करते हैं), मडल चरण (कक्षा **6-8, 11-14** वर्ष की आयु को कवर करते हैं), और माध्य मक चरण (कक्षा **9-12** दो चरणों में, अर्थात, पहले में **9** और **10** और दूसरे में **11** और **12, 14-18** वर्ष की आयु को कवर करते हैं)।

इसके अतिरिक्त, शक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-आधारभूत (एनसीएफ-एफएस) और स्कूल शक्षा के लए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) की शुरूआत की गई है। इसके अतिरिक्त, एनईपी **2020** इसके कार्यान्वयन के लए व भन्न समय-सीमाओं के साथ-साथ सद्धांत और कार्यप्रणाली प्रदान करती है। इसमें **2030-40** के दशक में पूरी नीति के परिचालन की भी परिकल्पना की गई है, जिसके पश्चात एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, शक्षा सं वधान की समवर्ती सूची में आती है और अ धकांश वद्यालय संबं धत राज्य एवं केंद्र शा सत प्रदेश सरकारों के प्रशासनिक अ धकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य वद्यालयों का पंजीकरण तथा उनका संबं धत बोर्डों से संबद्ध होना भी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों के अ धकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा, निर्धारित मानकों और नियमों का अनुपालन करते हुए एनईपी **2020 (**राष्ट्रीय शक्षा नीति **2020)** के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी संबं धत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अ धकार क्षेत्र में ही आती है।

यूडाइस एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औपचारिक तथा वशेष शक्षा प्रदान करने वाले उन वद्यालयों द्वारा सुव्यवस्थित डेटा रिपोर्टिंग को सुगम बनाता है, और जो राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या निजी शक्षा बोर्डों (जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज आदि) से संबद्ध हैं। इसे देश में एक मानकीकृत 'डेटा कैप्चर फॉर्मेट' का उपयोग करके वश्वसनीय और तुलनात्मक सूचना को ऑनलाइन, वास्त वक समय में कुशलतापूर्वक संक लत करने के उद्देश्य से वक सत कया गया है। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वद्यालय शक्षा डेटाबेस का व्यापक रूप से निगरानी और प्रबंधन कया जाता है।

*****